एस. चिन्नासामी एवं एक अन्य

बनाम

बीज निरीक्षक, कोयम्बटूर एवं एक अन्य

29 सितम्बर, 2006

(एस. बी. सिन्हा एवं दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति गण)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 — धारा 3(2)(ए), (एच), (आई) एवं 7(1)(ए)(ii) - बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 — खंड 3(1), 8(ए) एवं (बी) तथा 18(1) - बीज (नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के लिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि — तीन माह के कारावास का दंड अधिरोपित — अभियुक्तों द्वारा यह निवेदन कि वे पहले ही लगभग एक माह का कारावास भुगत चुके हैं, अतः दंड को पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए — मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य द्वारा की गई रियायत के कारण निवेदन स्वीकार किया गया, अर्थात् अभियुक्त संख्या 2 अपराध के समय 17 वर्ष का युवक था; जब्त किए गए बीजों की मात्रा अल्प थी; तथा राज्य में बीज (नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन का यह प्रथम अभिलिखित मामला था।

अपीलकर्ता कथित रूप से वैध अनुज्ञप्ति के बिना बीजों का व्यवसाय कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम/एन.डी.पी.एस. अधिनियम) ने उन्हें बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 3(1), 8(ए) एवं 8(बी) तथा 18(1) के उल्लंघन का दोषी ठहराया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ए), (एच) एवं (आई) से संबंधित तथा धारा 7(1)(ए)(ii) के अधीन दंडनीय हैं, और उन्हें तीन माह के साधारण कारावास का दंड दिया। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में अपीलकर्ताओं ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिरोपित दंड असंगत, अत्यधिक एवं कठोर है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि छूट की अवधि सहित वे लगभग एक माह का कारावास पहले ही भुगत चुके हैं तथा यदि दंड को पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। प्रत्युत्तर में राज्य ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

रियायत प्रदान की, अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 2 अपराध के समय 17 वर्ष का युवक था; जब्त किए गए बीजों की मात्रा कम थी; तथा तमिलनाडु राज्य में बीज (नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन का यह प्रथम अभिलिखित मामला था।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. राज्य की ओर से किए गए निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर निर्णय करना तथा उनके संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करना उपयुक्त नहीं समझा जाता है। [925-डी]

2. इस मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर, विशेष रूप से राज्य द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, न्याय के उद्देश्य तभी पूर्ण होंगे जब अपीलकर्ताओं के दंड को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई कारावास अवधि तक सीमित कर दिया जाए। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को मुक्त कर दिया गया था और अब उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। [925-ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2005 की आपराधिक अपील संख्याएँ 1521-1522

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 719/1997 में दिनांक 03.12.2004 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से : पी. आनंद पद्मनाभन एवं प्रमोद दयाल।

उत्तरदाताओं की ओर से : वी. जी. प्रगासम।

न्यायालय का निर्णय **दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया।

ये आपराधिक अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 03.12.2004 के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम/एन.डी.पी.एस. अधिनियम), कोयम्बटूर द्वारा दिनांक 09.09.1997 को पारित निर्णय की पुष्टि की थी। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 3(1), 8(ए), 8(बी) तथा 18(1) के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ए), (एच) एवं (आई) तथा धारा 7(1)(ए)(ii) के अधीन दंडनीय है। विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को

तीन माह के साधारण कारावास तथा प्रत्येक तीन आरोपों के लिए ₹1000/- के अर्थदंड से दंडित किया था।

इन अपीलों के निस्तारण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं :—

बीज निरीक्षक, कोयम्बटूर, अभियोजन साक्षी-1, दिनांक 15.05.1996 को अपीलकर्ता संख्या 1 की दुकान के निरीक्षण हेतु गए। उनके अनुसार, दुकान खुली हुई थी, किन्तु वहाँ कोई उत्तरदायी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। अतः बीज निरीक्षक उस दिन निरीक्षण नहीं कर सके, यद्यपि वे लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे।

बीज निरीक्षक दिनांक 25.10.1996 को पुनः अपीलकर्ता संख्या 1 एस. चिन्नासामी की दुकान पर गए, किन्तु अपीलकर्ता संख्या 1 वहाँ उपस्थित नहीं था तथा उसका अभिकर्ता अपीलकर्ता संख्या 2 आर. सौंदरराजन उस समय दुकान का व्यवसाय संचालित कर रहा था। अभियोजन साक्षी-1 के कथनानुसार, अपीलकर्ता कीटनाशकों, उर्वरकों तथा बीजों का व्यापार कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान बीज निरीक्षक ने दुकान में 2¼ किलोग्राम कपास के बीज तथा 2 किलोग्राम टमाटर के बीज पाए। अपीलकर्ता संख्या 1 के पास उक्त बीजों की बिक्री के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी। अभियोजन साक्षी-1 बीज निरीक्षक के अनुसार, दुकान में न तो मूल्य सूची प्रदर्शित थी और न ही सूचकांक प्रदर्शित था। बीजों की किस्मों का विवरण भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। कोई पुस्तिकाएँ, लेखे अथवा अभिलेख भी संधारित नहीं किए जा रहे थे। दुकान में प्राप्त उक्त मात्रा के बीजों को अपीलकर्ता संख्या 2 आर. सौंदरराजन की उपस्थिति में पैक कर सीलबंद किया गया तथा उसे इस निर्देश के साथ सुपुर्द किया गया कि वह स्वामी को दिनांक 30.10.1996 तक अथवा उससे पूर्व अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहे। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा उसी पर अपीलकर्ता संख्या 2 आर. सौंदरराजन ने अपने हस्ताक्षर किए। बिल बुक (प्रदर्श-6) भी जब्त की गई। उक्त बिल बुक से यह उद्घाटित हुआ कि अपीलकर्ता संख्या 1 बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के बीजों का व्यापार कर रहा था। बीज निरीक्षक ने अपने वरिष्ठ अधिकारी तिरु आइज़ैक जेसुदास, अभियोजन साक्षी-2, के निर्देश पर परिवाद प्रस्तुत किया।

परिवाद का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है :—

> "शिकायतकर्ता अधिसूचित बीज निरीक्षक है, जिसकी नियुक्ति बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 12 के अधीन की गई है तथा जिसे खंड 13 के

अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। उसकी अधिकारिता कोयम्बटूर उत्तर तथा कोयम्बटूर दक्षिण के संपूर्ण राजस्व तालुकों तक विस्तृत है। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 763(ई) दिनांक 27.09.1987 के आधार पर उसे अभियोजन संस्थित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

अभियुक्त संख्या (1) उपर्युक्त पते पर बीज व्यवसाय करने वाला बीज विक्रेता है, जो इस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अभियुक्त संख्या (2), अभियुक्त संख्या (1) का अधिकृत विक्रय प्रतिनिधि है।

विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर बीज निरीक्षक, कोयम्बटूर ने दिनांक 25.10.1996 को अभियुक्तों के परिसर का निरीक्षण किया। उस समय अभियुक्त संख्या (2) स्थल पर उपस्थित था। निरीक्षण के समय वही व्यवसाय का संचालन कर रहा था।

निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए :—

(1) वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना बीजों का व्यवसाय किया जा रहा था।

(2) स्टॉक/मूल्य सूची संधारित नहीं की गई थी।

(3) अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

उपर्युक्त त्रुटियों का निराकरण दिनांक 15.05.1996 से बार-बार दिए गए निर्देशों एवं स्मरणपत्रों के बावजूद नहीं किया गया। अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हैं।

अभियुक्तों के उपर्युक्त कृत्य बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 3, खंड 8(ए), खंड 9 तथा खंड 18(1) का उल्लंघन करते हैं। अतः अभियुक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(ए)(ii) के अधीन दंडनीय हैं।

अतः प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय उक्त मामले को अपने अभिलेख पर ग्रहण करे, अभियुक्तों को तलब करे तथा न्यायोचित आदेश पारित करे।

हस्ताक्षरित/-
बीज निरीक्षक
कोयम्बटूर"

अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली अपराधसूचक परिस्थितियाँ उन्हें प्रश्नावली के रूप में बताई गईं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनका स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके। अपीलकर्ता संख्या 1 ने कहा कि वह केवल सीमेंट का व्यापार करता था, बीजों का नहीं। उसने आगे कहा कि अधिकारियों ने उसे कार्यालय ले जाकर धमकाया तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। अपीलकर्ता संख्या 2 ने अपनी ओर से कहा कि उसका उक्त दुकान से कोई संबंध नहीं था और वह अपीलकर्ता संख्या 1 की दुकान में कार्य भी नहीं करता था। विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु बनाया गया प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।

विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन साक्षी-1 तिरु जॉन थाडियस, जो बीज निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, तथा अभियोजन साक्षी-2 तिरु आइज़ैक जेसुदास, जो बीज निरीक्षण के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत थे, का परीक्षण किया। प्रदर्श-पी-1 से पी-6 तक प्रदर्शित किए गए। अपीलकर्ताओं से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न किए गए।

बीज निरीक्षक, अभियोजन साक्षी-1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा कि "मैंने दुकान में बीजों की बिक्री पर रोक लगाई, उन्हें एक थैले में रखकर सीलबंद किया और दुकान में उपस्थित व्यक्ति (अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 2) को सौंप दिया तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। इसके पश्चात् मैंने निरीक्षण ज्ञापन, प्रदर्श-पी-1, तैयार किया।" उसके अनुसार, बीज निरीक्षण के सहायक निदेशक, अभियोजन साक्षी-2, ने उसे अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दायर करने की अनुमति प्रदान की थी।

अपीलकर्ता संख्या 1 तथा उसके ससुर की कृषि भूमि के संबंध में अभियोजन साक्षी-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिया गया प्रासंगिक कथन निम्नलिखित है :—

> "मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि थडागम तथा कोथागिरि में उसकी संपत्तियाँ हैं, जो उसके पिता तथा ससुर की संपत्तियाँ हैं। यह सामान्य बात है कि भूमिधर बीज खरीदते हैं और उन्हें अपने स्वयं के उपयोग के लिए सुरक्षित रखते हैं।"

यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि किसी भी क्रेता का परीक्षण कर जनता को

बीजों की बिक्री किए जाने का तथ्य सिद्ध नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय (पीठासीन अधिकारी, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एन.डी.पी.एस. अधिनियम प्रकरण, कोयम्बटूर) इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि बीज निरीक्षक, अभियोजन साक्षी-1, ने अपीलकर्ता संख्या 1 की दुकान का निरीक्षण किया था तथा पाया था कि बीज अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 1 के अभिकर्ता के रूप में, बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के बेचे जा रहे थे। विचारण न्यायालय के अनुसार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ताओं ने बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 3(1), 8(ए), 8(बी) तथा 18(1) का उल्लंघन किया था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ए), (एच) एवं (आई) के संदर्भ में जारी किया गया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 7(1)(ए)(ii) के अधीन दंडनीय है।

बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 3(1), 8(ए) एवं (बी) तथा 18(1) इस प्रकार हैं:

"3. *विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना।* - (1) कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर बीजों के विक्रय, निर्यात अथवा आयात का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा, जब तक कि इस आदेश के अधीन उसे प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ऐसा न किया जाए।

8. *विक्रेताओं द्वारा स्टॉक एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करना।* - प्रत्येक बीज विक्रेता अपने व्यापार-स्थल पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :—

(ए) उसके पास उपलब्ध विभिन्न बीजों के प्रतिदिन के आधार पर प्रारंभिक एवं समापन स्टॉक;

(बी) विभिन्न बीजों के मूल्य अथवा दरों को दर्शाने वाली सूची।"

"18. *अभिलेखों का संधारण एवं विवरणियों का प्रस्तुतिकरण आदि।* - (1) प्रत्येक विक्रेता अपने व्यवसाय से संबंधित ऐसी पुस्तकों, लेखों एवं अभिलेखों का संधारण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए।"

विशेष न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उपर्युक्त खंडों के उल्लंघन का दोषी पाया तथा उन्हें उसके अधीन दोषसिद्ध किया। प्रत्येक अपीलकर्ता को

तीन आरोपों में से प्रत्येक के लिए तीन माह के साधारण कारावास तथा ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में प्रत्येक आरोप के लिए एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में अधिरोपित दंड, व्यतिक्रम दंड को छोड़कर, साथ-साथ चलेंगे।

अपीलकर्ताओं ने आवश्यक वस्तु अधिनियम/एन.डी.पी.एस. अधिनियम के विशेष न्यायाधीश के उक्त आदेश से व्यथित होकर दोषसिद्धि एवं दंड को अपास्त कराने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन आपराधिक अपील दायर की।

अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से यह निवेदन किया गया कि वह केवल सीमेंट का व्यापार करता था, बीजों का नहीं, तथा उसकी दुकान में रखे गए कपास एवं टमाटर के बीज व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे, न कि जनता को विक्रय करने के लिए। अपीलकर्ता संख्या 1 का यह प्रतिरक्षण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस कारण अस्वीकार कर दिया गया कि वह अपनी अथवा अपने ससुर की स्वामित्वाधीन भूमि के सर्वेक्षण संख्या अथवा क्षेत्रफल को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रदर्श-पी.6 (बिल बुक) में भी हेरफेर की थी, जिससे यह उद्घाटित हुआ कि वह लंबे समय से विभिन्न ग्राहकों को बीजों का विक्रय करता रहा था।

अपीलकर्ताओं ने यह भी निवेदन किया कि संभवतः तमिलनाडु राज्य में यह पहला मामला था, जिसमें बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अधीन दोषसिद्धि की गई थी; अतः उन्हें कुछ उदारता एवं सहानुभूतिपूर्ण विचार का लाभ दिया जाना चाहिए था, विशेषकर तब जबकि अपीलकर्ता संख्या 1 की दुकान से व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखी गई बीजों की अत्यंत अल्प मात्रा बरामद हुई थी।

उच्च न्यायालय के अनुसार इस तर्क को स्वीकार करना एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा। उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने के निश्चित उद्देश्य से बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 लागू किया गया था। उसके उल्लंघन की सूचना को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता, अन्यथा उसका उत्पादन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और व्यापक जनहित प्रभावित होगा। यह भी आक्षेपित निर्णय में उल्लेखित है कि लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बिना अनुज्ञप्ति के पर्याप्त मात्रा में बीज जनता को बार-बार बेचे जाते रहे थे। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के

अनुसार, विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के अनुरूप थे।

उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि कर दी। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपीलें इस न्यायालय के समक्ष दायर की हैं। अपीलकर्ताओं ने पूरे मामले के संचालन में गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदाताओं ने तमिलनाडु राज्य में बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कराने की उत्सुकता में स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन किया। अपीलकर्ताओं ने इंगित किया कि स्वयं बीज निरीक्षक, अभियोजन साक्षी-1, ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने दुकान में पाए गए बीजों को एक थैले में रखकर सीलबंद किया और सीलबंद थैला अपीलकर्ता संख्या 2 को सौंप दिया। बीज निरीक्षक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया खंड 13 की उपधारा (3) के प्रतिकूल है। खंड 13(3) इस प्रकार है :—

> "13(3) जहाँ इस खंड के अधीन किसी बीज को किसी निरीक्षक द्वारा अभिगृहीत किया जाता है, वहाँ वह निरीक्षक ऐसे अभिग्रहण के तथ्य की तत्काल सूचना किसी दंडाधिकारी को देगा, जिसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 457 तथा 458 के उपबंध, जहाँ तक लागू हों, ऐसे बीजों की अभिरक्षा एवं निपटान पर लागू होंगे।"

उपधारा (3) के अनुसार, अभिग्रहण के पश्चात् बीज निरीक्षक का यह दायित्व था कि वह अभिग्रहण की सूचना दंडाधिकारी को दे, जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 तथा 458 के उपबंध ऐसे बीजों की अभिरक्षा एवं निपटान पर लागू होते। यह निर्विवाद है कि बीज निरीक्षक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसे अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभिलिखित कोई भी दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है।

यह भी निर्विवाद है कि निरीक्षण किए जाने के समय दुकान का स्वामी, अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 1, उपस्थित नहीं था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 की अनुपस्थिति में बीज निरीक्षक को निरीक्षण नहीं करना चाहिए था।

यह भी निवेदित किया गया कि उत्तरदाताओं ने यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत

नहीं किया कि अपीलकर्ताओं ने कभी बाजार में बीजों का विक्रय किया था। बीजों का कोई भी क्रेता प्रस्तुत नहीं किया गया। यह तथ्य संपूर्ण अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह भी निवेदित किया गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 के कथनानुसार अपीलकर्ता संख्या 2, अपीलकर्ता संख्या 1 का अभिकर्ता नहीं था। अपीलकर्ता संख्या 2 लगभग 17 वर्ष का अशिक्षित दैनिक वेतनभोगी था। उसे निरीक्षण प्रतिवेदन पर लिए गए हस्ताक्षर के परिणामों और गंभीरता का ज्ञान नहीं था। अपीलकर्ताओं ने यह भी निवेदित किया कि तमिलनाडु राज्य में बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत यह प्रथम मामला था तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिरोपित दंड असंगत, अत्यधिक और कठोर है।

अपीलकर्ताओं ने निवेदन किया कि छूट (रिमिशन) की अवधि सहित वे लगभग एक माह का कारावास भुगत चुके हैं। उनके अनुसार, यदि उनके दंड को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए, तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षतापूर्वक निवेदन किया कि यदि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए उनके दंड को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए, तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह रियायत निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है :—

(i) अपराध किए जाने के समय अपीलकर्ता संख्या 2 मात्र 17 वर्ष का युवक था;

(ii) जब्त किए गए बीजों की मात्रा अल्प थी; तथा

(iii) तमिलनाडु राज्य में बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत यह प्रथम मामला था।

राज्य की ओर से प्रस्तुत उक्त निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए, हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर निर्णय करना तथा उनके संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करना उपयुक्त नहीं समझते।

हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। मामले के समस्त

तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर, विशेष रूप से राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि यदि अपीलकर्ताओं के दंड को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए, तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को मुक्त कर दिया गया था और अब उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड, यदि अभी तक अदा नहीं किया गया है, तो आज से चार सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा।

तदनुसार, ये अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और उनका निस्तारण किया जाता है।

बी.बी.बी. अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।